

कयर बोर्ड Coir Board

(सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार Ministry of MS&ME, Govt. of India) क्यर हाउस, एम.जी.रोड., कोच्ची - 682016 Coir House, M.G. Road, Kochi - 682016 तार/ Gram : COIR BOARD

दूरभाष/ Ph : 0484-2351954, 2351807, 2351788

फैक्स / Fax : 0484-2370034, 2354397 ई-मेल/ E-mail : coir@md2.vsnl.net.in

वेव / Web : www.coirboard.nic.in, www.coirboard.gc

ए-32022/3/2015-प्रशा(का)

28.08.2017

परिपत्र

विषयः पारी पर्यवेक्षक का पद भरने से सं.

हिन्दुस्तान कयर में रु. 5,200-20,200+ 2,400(ग्रेड पे) [पूर्व संशोधित] की पे बैंड में पारी पर्यवेक्षक का एक पद रिक्त है । पद के भर्ती नियम के अनुसार, रिक्ति सीधी भर्ति द्वारा भरनी है । लेकिन, हिन्दुस्तान कयर के पदों को सीधी भर्ति द्वारा न भरने हेतु मंत्रालय से निदेश है । अतः पद के प्रकार्यात्मक महत्व पर विचार करते हुए, अस्थाई उपाय के रूप में, निम्नानुसार योग्यता / अनुभव रखनेवाले उम्मीदवारों में से पारी पर्यवेक्षक का रिक्त पद तदर्थ आधार पर पदोन्नित द्वारा भरने हेतु प्रस्ताव किया गया है ।

"बुनाई स्थापना में 2 या 3 साल के अनुभव के साथ वस्त्र प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा"

कयर बोर्ड के पद-आधारित रोस्टर के अनुसार, उक्त रिक्ति काडर संख्या 2 के साथ मद सं.1, पर आती है, जो अनारक्षित है।

उपर्युक्त रिक्ति बोर्ड द्वारा अनुवर्तित विकलांग व्यक्तियों की आवर्तन सूची 3 में मुद्दा सं.22 के अंतर्गत है, जो अनारक्षित है ।

उपर्युक्त के अनुसार अपेक्षित योग्यताएँ और अनुभव रखनेवाले कर्मचारी, उनकी योग्यता और अनुभव के दस्तावेज़ी सब्तों के साथ अपना आवेदन अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन उचित माध्यम से दि.25.09.2017 को या उससे पहले अधोहस्ताक्षरी को पहुँचने के रूप में अग्रेषित करें। आवेदन मुख्यालय को अग्रेषित करने से पहले संबंधित अधिकारी यह प्रमाणित करेंगे कि विचार करने हेतु आवेदक ऊपर बताए अनुसार सभी अपेक्षाएँ रखता है।

विलंबित और अपूर्ण आवेदनों को अस्वीकार किया जाएगा ।

यह अध्यक्ष, कयर बोर्ड के अनुमोदन से जारी किया जाता है।



प्रशासनिक अधिकारी

सेवा में

- 1) संबंधित कार्यालयों के मुख्यों द्वारा बोर्ड के सभी कार्यालयों/शोरूम व बिक्री केन्द्रों के नोटिस बोर्ड
- 2) मुख्यालय के सभी अनुभाग व शाखाधिकारी
- 3) ई-ऑफिस नोटिस बोर्ड



कयर बोर्ड Coir Board

(सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार Ministry of MS&ME, Govt. of India) कयर हाउस, एम.जी.रोड., कोच्ची - 682016 Coir House, M.G. Road, Kochi - 682016

तार / Gram : COIR BOARD

दूरभाष/ Ph : 0484-2351954, 2351807, 2351788

फैक्स / Fax : 0484-2370034, 2354397 ई-मेल/ E-mail : coir@md2.vsnl.net.in

वेब / Web : www.coirboard.nic.in, www.coirboard.gov.in

A-32022/3/2015-ADM (P)

28.08.2017

CIRCULAR

Sub:- Filling up of the post of Shift Supervisor-reg.

There is one vacancy of Shift Supervisor in the Pay Band of Rs. 5,200-20,200+2,400(GP) (PR) in Hindustan Coir. As per Recruitment Rule for the post, the vacancy is to be filled in resorting to Direct Recruitment. But, there is a direction from the Ministry for not filling up of the posts of Hindustan Coir on Direct Recruitment. Therefore, considering the functional importance of the post, it is proposed to fill up the vacancy of Shift Supervisor by promotion on ad hoc basis from among the candidates possessing qualifications/experience as detailed below, as a temporary measure:

"Diploma in Textile Technology with 2 or 3 years of experience in a weaving establishment".

As per the Post Based Roster being followed by Coir Board, the above vacancy falls on Point No.5 with cadre strength of 2, which is **Unreserved.**

The above vacancy falls on Point No. 22 in the 3rd Cycle of the Roster for PwD (Persons with Disabilities) being followed by the Board, which is also **Unreserved.**

The employees who are in possession of the requisite qualifications and experience as above may forward their applications along with documentary evidence in proof of the same to the undersigned. The applications may be forwarded through proper channel so as to reach the undersigned on or before 25.09.2017. Before forwarding the applications to Head Office, the Officer concerned will certify that the applicant satisfies all the requirements as stipulated above for consideration.

Belated and incomplete applications will be summarily rejected.

This issues with the approval of Chairman, Coir Board.

ADMINISTRATIVE OFFICER

To

- 1. Notice Board of all Offices of the Board/SR&SDs through the respective Head of Offices concerned.
- 2. All Sections/Branch Officers in Head Office
- 3. E-Office Notice Board.